


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक -- ई--18/एम/जोन- उदयपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री उदय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प.क) चित्तौड़गढ़ जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14.08.2001 है, को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 14.08.2010 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2000 एरपीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन राबधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर

दिनांक : 24/07/19

क्रमांक -- ई--18/एम/जोन-उदयपुर/2019/1610

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प.क.) चित्तौड़गढ़।
3. श्री उदय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी रावर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर